

**न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी**  
**पीठासीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)**

राजस्व वाद संख्या :- 166/2021  
दायर दिनांक :- 13.12.2021

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2021/101  
निर्णय दिनांक :- 10.01.2025

1. सीताराम पुत्र विशनीराम जाति पालीवाल निवासी बाप तहसील बाप फौत के कायम मुकाम 1/1 पुरुषोत्तम पुत्र सीताराम जाति पालीवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी 1/2 ओमप्रकाश पुत्र सीताराम जाति पालीवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
- वादीगण.....

**बनाम**

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राजस्थान)
- प्रतिवादी.....

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

- उपस्थित:- 1. श्री राजेन्दसिंह सौलकी अधिवक्ता वादी  
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

**--:: निर्णय ::--**

वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि वादीगण की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि ग्राम बाप पटवार क्षेत्र बाप तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 2413/2884 रकबा 63-04 बीघा, खसरा नम्बर 2557 रकबा 135-04 बीघा व खसरा नम्बर 2544 रकबा 514-19 बीघा भूमि स्थित है। तहसील एडवाईजरी कमेटी द्वारा ग्राम बाप में भूमि आवंटन बाबत कैम्प रखा गया और दिनांक 10/09/1968 को उक्त कमेटी द्वारा खसरा नम्बर 2413/2884 रकबा 63-04 बीघा में से रकबा 13-00 बीघा, खसरा नम्बर 2557 रकबा 135-04 बीघा में से 17-00 बीघा व खसरा नम्बर 2544 रकबा 514-19 बीघा में से 15-00 बीघा कुल रकबा 45-00 बीघा भूमि वादीगण के पिता को आवंटित हुई और वादीगण के पिता ने नियमानुसार आवंटन शुल्क भी अदा कर दिया था और उसी दिन तहसीलदार फलोदी द्वारा मिसल नम्बर 98/68 कायम कर वादीगण के पिता को आवंटन आदेश की प्रति सुपुर्द की और पटवारी हल्का ने उसी दिन मौके पर चल कर वादीगण के पिता को कब्जा सुपुर्द कर दिया और आवंटन कमेटी ने पटवारी हल्का को माफिक आवंटन वादी के पक्ष में नामान्तरकाण भरने हेतु तहरीर जारी करदी थी और मौके पर वादी ने अपनी रहवासीय ढाणी, पानी के टांके इत्यादि बना रखे है तथा वादी अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करती आ रही है और वादी का आज दिन तक उक्त भूमि पर लगातार शांतिपूर्वक कब्जा व काश्त चला आ रहा है एवं वादी वादग्रस्त भूमि पर काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेते आ रहा है। इसलिये वादीगण ग्राम बाप पटवार क्षेत्र बाप तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 2413/2884 रकबा 63-04 बीघा में से रकबा 13-00 बीघा, खसरा नम्बर 2557 रकबा 135-04 बीघा में से 17-00 बीघा व खसरा नम्बर 2544 रकबा 514-19 बीघा में से 15-00 बीघा कुल रकबा 45-00 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है। तहसील एडवाईजरी कमेटी द्वारा वादी को

10/1/25  
सहायक कलेक्टर  
बाप (फलोदी)

भूमि आवंटन कर देने के बाद वादी इसी भरम में रहा कि पटवारी हल्का ने माफिक आवंटन उक्त भूमि मेरे नाम दर्ज कर दी है लेकिन पटवारी हल्का ने बिना किसी आधार के माफिक आवंटन उक्त भूमि वादी के नाम दर्ज नहीं की है जिससे वादिनी को भंयकर नुकसान हुआ है तथा वर्तमान में अभी वादी को उक्त भूमि अपने नाम दर्ज नहीं होने से भंयकर समस्याओं को सामना करना पड़ता है। इसलिये वादी ग्राम बाप पटवार क्षेत्र बाप तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 2413/2884 रकबा 63-04 बीघा में से रकबा 13-00 बीघा, खसरा नम्बर 2557 रकबा 135-04 बीघा में से 17-00 बीघा व खसरा नम्बर 2544 रकबा 514-19 बीघा में से 15-00 बीघा कुल रकबा 45-00 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने की अधिकारी है जिसका यह दावा पेश है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार बाप ने जवाब में कथन किया कि ग्राम बाप पटवार क्षेत्र बाप तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 2413/2884 रकबा 63-04 बीघा में से रकबा 13-00 बीघा, खसरा नम्बर 2557 रकबा 135-04 बीघा में से 17-00 बीघा व खसरा नम्बर 2544 रकबा 514-19 बीघा में से 15-00 बीघा कुल रकबा 45-00 बीघा भूमि वादीगण के पिता को दिनांक 10.09.1968 को आवंटित हुई थी जिसके मिसल नम्बर 98/68 है। वर्तमान में मौके पर वादीगण का माफिक आवंटन अनुसार कब्जा काश्त है। जो पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट से साबित है। वादीगण का वाद माफिक इस्तदुआ स्वीकार किया जाता है तो कोई उजर एतराज नहीं है। प्रतिवादी की ओर से वाद का विरोध नहीं होने से तनकीयात कायम नहीं की गई। वादी संख्या 1/2 ने अपने साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया एवं इनके बयान पी.डब्लू-1 कलमबद्ध किये गये। वादीगण के पड़ोसी खातेदार बाबूलाल पुत्र रामलाल ने अपने साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया एवं इनके बयान पी.डब्लू-2 कलमबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये।

वादी और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। पत्रावली बहस में रखी गयी।

अधिवक्ता वादीगण एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आवंटन आदेश, वर्तमान जमाबंदी, तहसीलदार बाप का जवाब एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन, चिन्तन एवं मनन करने पर पाया गया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम बाप पटवार क्षेत्र बाप तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 2413/2884 रकबा 63-04 बीघा में से रकबा 13-00 बीघा, खसरा नम्बर 2557 रकबा 135-04 बीघा में से 17-00 बीघा व खसरा नम्बर 2544 रकबा 514-19 बीघा में से 15-00 बीघा कुल रकबा 45-00 बीघा राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त भूमि तहसीलदार फलोदी के आवंटन आदेश मिसल नम्बर 98/68 दिनांक 10.09.1968 के जरिये वादीगण के पिता को आवंटित हुई। पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी सिवाय चक भूमि है जिस पर वादीगण द्वारा बाड़ा, तारबंदी व धोरापाली कर कब्जा किया हुआ है। जिसकी अतिक्रमण की कार्यवाही प्रस्तावित है। वादीगण वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है अतिक्रमी को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने उचित नहीं है। वादीगण का वाद दस्तावेजात से साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।



10/01/18  
साधारण कलेक्टर  
बाप (फलोदी)

## आदेश

उपर्युक्त विवेचनानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा अलग से मुर्तिब हो। मिसल फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



सि. (सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)  
सहायक कलेक्टर एवं  
बुप (फलोदी) खण्ड अधिकारी  
बाप (फलोदी)

## डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप  
बइजलास श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. सीताराम पुत्र विशनीराम जाति पालीवाल निवासी बाप तहसील बाप फौत के कायम मुकाम 1/1 पुरुषोत्तम पुत्र सीताराम जाति पालीवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
- 1/2 ओमप्रकाश पुत्र सीताराम जाति पालीवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी

वादीगण.....

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राजस्थान)

प्रतिवादी.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या :- 166/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी एवं हाजिर राजेन्द्रसिंह सौलकी मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि वाद वादीगण स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है नीचे

मुतालिक

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर

वसूल याबी तक

बाबत्

फीस सदी सालाना आज की तारीख

को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10.01.2025 को जारी की गई।



(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)

बाप (फलोदी)  
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीशनर बाबत् इजराय हुकमनामा मिजान			स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा वाहन फीस कमीशनर बाबत् इजराय हुकमनामा मुत्फरिक मिजान		

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।